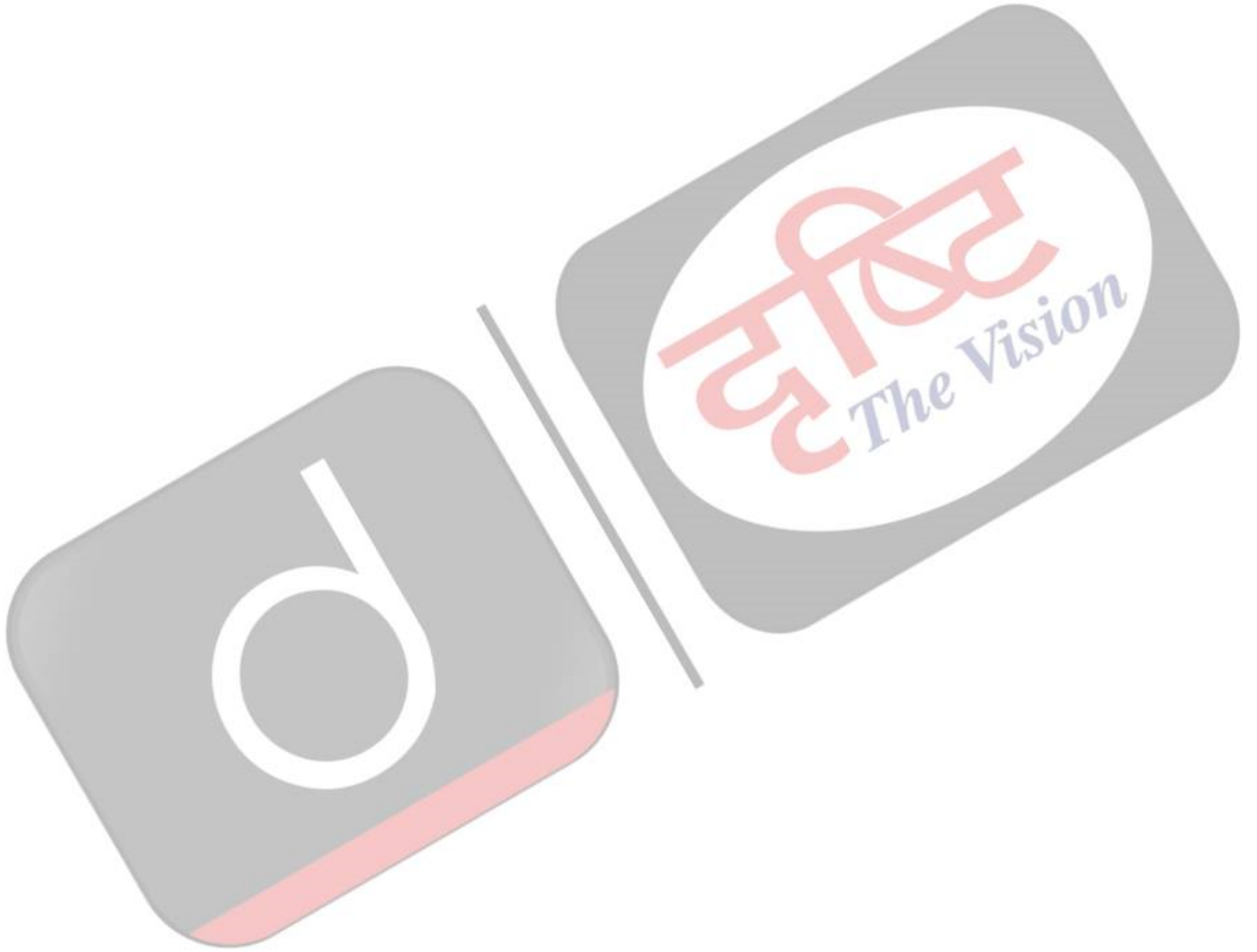




भारत के उप-राष्ट्रपति

//



भारत के उप-राष्ट्रपति

राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च पद

उत्पत्ति

इस पद को अमेरिकी उप-राष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है

संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 63-71

निर्वाचन

अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित

“इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य + मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन राज्य विधायिकाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं (राष्ट्रपति चुनाव के लिये निर्वाचक मंडल के विपरीत)”

“उप-राष्ट्रपति के पद हेतु चुनाव आयोजित कराने की शक्ति भारत निर्वाचन आयोग में निहित है (अनुच्छेद 324)”

योग्यता

भारत का नागरिक- न्यूनतम आयु 35 वर्ष

प्रथम तथा वर्तमान उप राष्ट्रपति

डॉ एस राधाकृष्णन; जगदीप धनखड़

कार्यकाल

5 वर्ष; पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र

पद रिक्तता

- उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग-पत्र दे सकता है
- राज्यसभा के सदस्यों (सभी तत्कालीन) के प्रभावी बहुमत तथा लोकसभा के सदस्यों की सहमति (साधारण बहुमत) के आधार पर हटाया जा सकता है
 - इसे हटाए जाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है
- संविधान में इसे पद से हटाने के संबंध में किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है

शक्तियाँ

- राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष- शक्तियाँ एवं कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान
- कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में (अधिकतम 6 माह)- जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो

“यह अमेरिकी उप-राष्ट्रपति के पद से भिन्न है क्योंकि अमेरिका का उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है”

“कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करता है”



[और पढ़ें...](#)

बी. आर. अंबेडकर



डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर

(14 अप्रैल, 1891-06 दिसंबर, 1956)

बाबासाहेब अंबेडकर

भारतीय संविधान के जनक



संक्षिप्त परिचय

- एक समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक और तुलनात्मक धर्मों के विचारक
- वायसराय की कार्यकारी परिषद (1942) में श्रम मामलों के जानकार सदस्य
- नए संविधान के लिये मसौदा समिति के अध्यक्ष
- भारत के प्रथम विधि मंत्री
- मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित (1990)

योगदान

- हिंदुओं के खिलाफ वर्ष 1927 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व
- तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया
- दलित वर्गों के लिये पृथक् निर्वाचक मंडल के विचार को त्यागने के लिये महात्मा गांधी के साथ वर्ष 1932 के पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किये
- प्रांतीय विधायिकाओं में वंचित वर्गों के लिये आरक्षित सीटों को 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधानमंडल में 18% कर दिया गया था।
- जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे का विरोध (अनुच्छेद 370)
- समान नागरिक संहिता का समर्थन
- अनुच्छेद 32 को “संविधान की आत्मा और इसके हृदय” के रूप में संदर्भित किया

त्याग-पत्र और बौद्ध धर्म

- हिंदू कोड बिल पर मतभेद के कारण वर्ष 1951 में उन्हें कैबिनेट से त्याग-पत्र देना पड़ा
- बौद्ध धर्म को अपनाया; उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है

महत्वपूर्ण पत्रिकाएँ

- मूकनायक (1920)
- बहिष्कृत भारत (1927)
- समता (1929)
- जनता (1930)

संगठन

- ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभा’ की स्थापना (1923)
- स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना (1936)
- शेड्यूलड कास्ट फेडरेशन की स्थापना (1942)

पुस्तकें

- जाति का विनाश (Annihilation of Caste)
- बुद्ध या कार्ल मार्क्स (Buddha or Karl Marx)
- अछूत: वे कौन थे और अछूत कैसे बने (The Untouchable: Who are They and Why They Have Become Untouchables)
- हिंदू महिलाओं का उदय और पतन (The Rise and Fall of Hindu Women)

और पढ़ें...

सोने का आयात और तस्करी

प्रलिमिस के लिये:

सोने का आयात, सोने की तस्करी, नॉर्थ ईस्ट स्मगलिंग रूट

मेन्स के लिये:

सोने की तस्करी, सोने की तस्करी में पूर्वोत्तर क्षेत्र की भूमिका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के वित्त मंत्री ने कहा है कि अधिकारियों को यह पता लगाना चाहिये कि क्या उच्च सोने के आयात और तस्करी के बीच कोई संबंध है साथ ही तस्करी का पता लगाने हेतु क्या तरीका है।

- यह ज्ञात है कि जब भी सोने के आयात में वृद्धि होती है, सोने की तस्करी भी आमतौर पर बढ़ जाती है।

भारत में सोने की तस्करी:

- **परिचय:**
 - डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलेजेंस (DRI) की स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 833 किलोग्राम तस्करी का सोना ज़ब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रूपए थी।
 - वर्ष 2020-21 में खाड़ी क्षेत्र से तस्करी में गिरावट देखी गई थी क्योंकि **कोविड-19 महामारी** के कारण हवाई उड़ानें रद्द कर दी गई थी।
 - अगस्त 2020 तक पाँच वर्षों में भारत भर के हवाई अड्डों पर तस्करी के 16,555 मामलों में 11 टन से अधिक सोना ज़ब्त किया गया है।
 - उपर्युक्त रिपोर्ट कथित रूप से आँकड़े ज़ब्त किये गए सोने के थे, हालाँकि जो तस्करी सफल रही है वह एजेंसियों द्वारा ज़ब्त की गई राशि से कहीं अधिक हो सकती है।
 - **वशिव स्वर्ण परिषद (World Gold Council- WGC)** के अनुसार, सोने पर आयात शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 12.5% करने के कारण तस्करी पूर्व **कोविड** अवधि की तुलना में वर्ष 2022 में 33% बढ़कर 160 टन तक पहुँच सकती है।
 - पिछले 10 वर्षों में महाराष्ट्र में भारत में अधिकांश सोने की तस्करी हुई है उसके बाद तमिलनाडु और केरल का स्थान है।
- **पूर्वोत्तर तस्करी मार्ग:**
 - DRI की रिपोर्ट के अनुसार, ज़ब्त किये गए सोने का 73 फीसदी **म्यांमार और बांग्लादेश के जरिये लाया गया था।**
 - वित्त वर्ष 2012 में ज़ब्त किये गए सोने का 37% म्यांमार से था। इसका 20% हिस्सा पश्चिमी एशिया से ज़ब्त किया गया है।
 - कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों से पता चलता है कि तस्करी का सोना चीन से म्यांमार में क्रमशः **रुइली और म्यूज़ के शहरों के माध्यम से लाया जाता है।**
 - म्यूज़ पूर्वोत्तर म्यांमार में शान राज्य में स्थित है और **रुइली** युन्नान प्रांत, चीन के देहोंग दाई प्रांत में स्थित है।

भारत द्वारा आयातित सोने की मात्रा:

- विदेशी मुद्रा के अधिक बहिराव के साथ, आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सोने के आयात में वृद्धि देखी जा रही है।
 - वर्ष 2020-21 में 2.54 लाख करोड़ रूपए के सोने के आयात की तुलना में वर्ष 2021-22 में 3.44 लाख करोड़ रूपए का आयात दर्ज किया गया।
- **वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल** के अनुसार, चीन के बाद वशिव का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता भारत, एक साल में लगभग 900 टन सोने का आयात करता है। वर्ष 2021 में भारत में इसकी खपत 797.3 टन थी (वर्ष 5 वर्षों में सबसे अधिक)।
- भारत **गोल्ड डोर बार (gold dore bar)** के साथ-साथ **परिष्कृत सोने (refined gold)** का आयात करता है।
 - वित्त पाँच वर्षों में, सोने की डोर बार का आयात, भारत में पीली धातु के कुल आधिकारिक आयात का 30% रहा।

राजस्व आसूचना नदिशालय:

- राजस्व आसूचना नदिशालय (DRI) भारत की शीर्ष तस्करी-रोधी खुफिया, जाँच और संचालन एजेंसी है।
- यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत कार्यरत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के तहत काम करता है।

- इसका नेतृत्व भारत सरकार के **वशिष सचिव** स्तर के **महानिदेशक** द्वारा किया जाता है।
- राजस्व आसूचना निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence - DRI) आग्नेयास्त्रों, सोना, नशीले पदार्थों, नकली भारतीय मुद्रा नोटों, प्राचीन वस्तुओं, वन्य जीवन और पर्यावरण उत्पादों की तस्करी की रोकथाम करके भारत की **राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है**।
 - इसके अलावा, यह काले धन, वाणिज्यिक धोखाधड़ी और व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग के प्रसार को रोकने में भी मदद करता है।
- इसका मुख्यालय **नई दिल्ली** में है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन

प्रलम्ब के लिये:

कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, TSP

मेन्स के लिये:

कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन का महत्त्व और संबंध चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI)** ने दूरसंचार नेटवर्क में “**कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (Calling Name Presentation- CNAP)** का परिचय” पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन:

- यह सुविधा कॉल करी गए व्यक्ति को कॉलिंग पार्टी (**'ट्रूकॉलर'/Truecaller और 'भारत कॉलर आईडी और एंटी-स्पैम' के समान**) के बारे में जानकारी प्रदान करेगी।
- इसके पीछे विचार यह सुनिश्चित करना है कि टेलीफोन ग्राहक को आने वाली कॉलों के बारे में सही में जानकारी उपलब्ध हो ताकि वे अज्ञात या स्पैम कॉल्स द्वारा उत्पीड़न को रोकने में सक्षम हो सकें।

उद्देश्य:

- मौजूदा प्रौद्योगिकियाँ कॉल प्राप्तकर्ता के हैंडसेट पर कॉल करने वाले का नंबर रूप में जानकारी प्रस्तुत करती हैं।
- चूंकि ग्राहकों को कॉल करने वाले का नाम और पहचान नहीं स्पष्ट हो पाती है, यह मानते हुए कि यह अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स द्वारा अवांछित और व्यावसाय संबंधी कॉल हो सकता है, ग्राहक कभी-कभी उनका जवाब नहीं देने का विकल्प चुनते हैं। इससे वास्तविक/जुरी कॉल भी अनुत्तरित हो सकती हैं।
- **ट्रूकॉलर/Truecaller की 'ग्लोबल स्पैम और स्कैम रिपोर्ट, 2021'** से पता चला है कि भारत में हर महीने प्रति उपयोगकर्ता स्पैम कॉल की औसत संख्या 16.8 थी, जबकि अकेले अक्टूबर 2022 में इसके उपयोगकर्ताओं द्वारा प्राप्त कुल स्पैम कॉल्स की संख्या 3.8 बिलियन से अधिक थी।

चुनौतियाँ:

- **विलंबता:**
 - ऐसे में कॉल करने में लगने वाले समय में वृद्धि होने की संभावना रहती है।
 - तेज़ वायरलेस नेटवर्क (4G या 5G) से तुलनात्मक रूप से धीमे (2G या 3G) नेटवर्क पर स्विच करने पर कॉल आने या जाने संबंधी लगने वाला समय प्रभावित हो सकता है।
- **गोपनीयता:**
 - यह विशेष रूप से स्पष्ट नहीं है कि CNAP तंत्र कॉलर के गोपनीयता के अधिकार को कैसे संतुलित करेगा, जो नजिता के अधिकार का

एक अनविद्य घटक है।

- इसे परिप्रेक्ष्य में एक व्यक्ति किई कारणों से गुमनाम रहने का विकल्प चुन सकता है, उदाहरण के लिये वहसिल-ब्लोअर या कर्मचारियों को परेशान किया जाना।
- यह आदर्श होगा कि डेटा को होस्ट और साझा करने के लिये किसी तीसरे पक्ष द्वारा संचालित केंद्रीकृत डेटाबेस को पृष्ठने के बजाय एक ढाँचा विकसित किया जाए।

आगे की राह

- एक बार तंत्र (स्पैमर्स की पहचान करने और चिह्नित करने के लिये) बन जाने के बाद सैकड़ों लोग इसका उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं तभी तंत्र का सार्थक प्रभाव होगा। सरिफ पहचान जाहिर करने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा।
- एक प्रभावी तंत्र के साथ इंटरफ़ेस उपयोगकर्ता के अनुकूल होना चाहिये। ग्राहकों की सक्रिय भागीदारी से यह सुनिश्चित होगा कि स्पैमर्स की सही पहचान हो गई है और वे आगे कॉल करने में असमर्थ हैं।
- सरकार को डिजिटल साक्षरता में भी निवेश करना चाहिये, नागरिकों को नेवगिट करने और तकनीक का बेहतर उपयोग करने के लिये कुशल बनाना चाहिये, साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वे अपने डेटा को अंधाधुंध रूप से साझा न करें और वित्तीय धोखाधड़ी एवं स्पूफिंग जैसे खतरों के बारे में भी उन्हें सूचित किया जाए।

स्रोत: द हिंदू

राज्यसभा के सभापति

प्रलिस के लिये:

अनुच्छेद 89, उपराष्ट्रपति, उच्च सदन, राज्य सभा के उपसभापति, भारतीय संविधान।

मेन्स के लिये:

राज्यसभा के अध्यक्ष से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और शक्तियाँ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जगदीप धनखड़ को [राज्यसभा](#) के सभापति के रूप में चुना गया।

राज्यसभा के सभापति

- परिचय:
 - [उपराष्ट्रपति](#) राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है।
 - राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति सदन की प्रतिष्ठा और सम्मान का निर्विरोध संरक्षक होता है।
- संवैधानिक प्रावधान:
 - [अनुच्छेद 64](#): उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा।
 - संविधान के [अनुच्छेद 89](#) में सभापति (भारत के उप-राष्ट्रपति) और राज्यसभा के उपसभापति का प्रावधान है।
- शक्तियाँ और कार्य:
 - राज्यसभा के सभापति को कोरम (गणपूर्ति) न होने की स्थिति में सदन को स्थगित करने या उसकी बैठक स्थगित करने का अधिकार है।
 - संविधान की 10वीं अनुसूची सभापति को दल-बदल के आधार पर राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निर्धारण करने का अधिकार देती है।
 - सदन में [वशिष्टाधिकार हनन](#) का प्रश्न उठाने के लिये सभापति की सहमत आवश्यक है।
 - संसदीय समितियाँ, चाहे वह सभापति द्वारा गठित हों या सदन द्वारा, सभापति के निर्देशन में काम करती हैं।
 - वह सदस्यों को विभिन्न स्थायी समितियों और विभाग-संबंधित संसदीय समितियों में नामित करता है। वह कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष हैं।
 - जहाँ तक सदन में या उससे संबंधित मामलों का संबंध है, संविधान और नियमों की व्याख्या करना सभापति का कर्तव्य है और कोई भी ऐसी व्याख्या पर सभापति के साथ शामिल नहीं हो सकता है।
- सभापति को पद से हटाना:

- राज्यसभा के सभापति को पद से तभी हटाया जा सकता है जब उसे भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए।
- जब उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प विधायक हो, वह सभापति के रूप में सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता हालाँकि वह सदन में उपस्थिति हो सकता है।

उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान:

■ उपराष्ट्रपति:

- उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। वह पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिये कार्य करता है, लेकिन वह कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण नहीं कर लिया जाता है।
- उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है।
- उपराष्ट्रपति को **राज्य परिषद (राज्यसभा)** के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जो उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होता है, साथ ही **लोकसभा** की सहमति आवश्यक होती है। इस प्रयोजन के लिये कम-से-कम 14 दिनों का नोटिस दिये जाने के बाद ही इस आशय का कोई प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।
- उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद (राज्यसभा) का पदेन अध्यक्ष होता है और उसके पास कोई अन्य लाभ का पद नहीं होता है।

■ योग्यता:

- भारत का नागरिक होना चाहिये।
- 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिये।
- राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिये योग्य होना चाहिये।
- केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिये।

■ निर्वाचक मंडल:

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - राज्यसभा के निर्वाचक सदस्य।
 - राज्यसभा के मनोनीत सदस्य।
 - लोकसभा के निर्वाचक सदस्य।

■ चुनाव प्रक्रिया:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार, कार्यालय की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिये चुनाव, निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है।
- राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 तथा राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के साथ संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है।
 - चुनाव के लिये अधिसूचना निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के सात दिन पूर्व या उसके बाद जारी की जाएगी।
- चूँकि निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इसलिये प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य समान होगा अर्थात् 1 (एक)।
- चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी-बारी से निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) के रूप में नियुक्त करता है।
 - तदनुसार महासचिव, लोकसभा को भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के वर्तमान **चुनाव के लिये निर्वाचन अधिकारी** के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- आयोग ने निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिये संसद भवन (लोकसभा) में सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है।
- राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसार, चुनाव के लिये मतदान संसद भवन में होगा।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2013)

1. राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं
2. जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

RBI की मौद्रिक नीतिसमीक्षा

प्रलिस के लिये:

RBI, मौद्रिक नीतिसमिति(MPC), मौद्रिक नीत के साधन, RBI के वभिन्न नीतगित रुख

मेन्स के लिये:

मौद्रिक नीति, वृद्धि और विकास, मौद्रिक नीति और इसके उपकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीतिसमिति(MPC) ने मौद्रिक नीत की अपनी नवीनतम समीक्षा की घोषणा की।

- RBI ने कहा, "दुनिया भर में विकास की संभावनाएँ कम हो रही हैं। वित्तीय बाज़ार में व्यवधान उत्पन्न हुआ है तथा उच्च अस्थिरता एवं कीमतों में उतार-चढ़ाव की वशिषता वदियमान है।"

समीक्षा के मुख्य बडि:

- **GDP विकास पूर्वानुमान:**
 - MPC ने वत्ति वर्ष 2022-23 के लिये अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के विकास अनुमान को 7% से घटाकर 6.8% कर दिया।
 - इससे एक दनि पूर्व वशिर्व बैंक ने वत्ति वर्ष 2022-23 के लिये वृद्धिदर का अनुमान बढ़ाकर 6.9 परतशित कर दिया था।
 - वास्तवकि जीडीपी वृद्धिवर्ष 2023-24 की पहली तमिाही के लिये 7.1% और दूसरी तमिाही के लिये 5.9% अनुमानति है।
 - जैसा क सतिंबर 2022 के आँकड़ों से पता चलता है क इसने पूरे वर्ष के लिये GDP के अनुमान में कटौती की लेकनि तमिाही GDP के अनुमान को बढ़ा दिया।
- **मुद्रास्फीति और ब्याज दरें:**
 - MPC ने वत्ति वर्ष 2022-23 में हेडलाइन मुद्रास्फीति (एक अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रास्फीति) के पूर्वानुमान को 7% पर बनाए रखा है।
 - आरबीआई को उम्मीद है क लगातार 15 महीनों के लिये हेडलाइन मुद्रास्फीति 6% से ऊपर रहेगी। उसके बाद भी, 4% के स्तर तक पहुँचने में समय लग सकता है।
- **रेपो दर:**
 - MPC ने रेपो दर को 35 आधार अंकों (bps) से बढ़ाकर 6.25% कर दिया और स्थायी जमा सुवधि को बढ़ाकर 6% कर दिया।

मौद्रिक नीति ढाँचा:

- **उद्गम:**
 - मई 2016 में RBI अधिनियम में संशोधन कया गया था ताक देश की मौद्रिक नीतगित ढाँचे को संचालति करने के लयिकेंद्रीय बैंक को वधायी अधदिश प्रदान कया जा सके।
- **उद्देश्य:**
 - ढाँचे का उद्देश्य वर्तमान और वकिसति व्यापक आर्थकि स्थति के आकलन के आधार पर नीतगित (रेपो) दर नरिधारति करना तथा रेपो दर पर या उसके आस-पास मुद्रा बाज़ार दरों को स्थरि करने के लयि तरलता में सुधार करना है।
- **नीतगित दर के रूप में रेपो दर:**
 - रेपो दर में परिवर्तन मुद्रा बाज़ार के माध्यम से समग्र वत्तितीय प्रणाली में संचारति होता है जो बदले में कुल मांग को प्रभावति करता है।
 - इस प्रकार यह मुद्रास्फीति और विकास का एक प्रमुख नरिधारक है।

मौद्रिक नीतिसमिति:

- गठन:
 - संशोधन (2016 में) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत केंद्र सरकार को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन करने का अधिकार है।
- उद्देश्य:
 - धारा 45ZB में कहा गया है कि "मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक नीति निर्धारित करेगी"।
- मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंको के लिये बाध्यकारी होगा।
- रचना:
 - धारा 45ZB के अनुसार एमपीसी में 6 सदस्य होंगे:
 - RBI गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में।
 - मौद्रिक नीति प्रभारी डप्टी गवर्नर।
 - केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी।
 - केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन व्यक्तियाँ
 - इस प्रक्रिया के तहत "अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले सक्षम व निष्पक्ष व्यक्तियों" की नियुक्ति की जाएगी।

मौद्रिक नीति के उपकरण:

- रेपो दर
- स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर
- चलनधि समायोजन सुविधा (LAF)
- LAF कॉरडोर
- मुख्य चलनधि प्रबंधन उपकरण
- फाइन ट्यूनिंग संचालन
- रविरेपो रेट
- बैंक दर
- नकद आरक्षण अनुपात (CRR)
- वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)
- ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????

प्रश्न. यदि भारतीय रिज़र्व बैंक एक वसितारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है, तो वह नमिनलखिति में से क्या नहीं करेगा? (2020)

- वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती और अनुकूलन
2. सीमांत स्थायी सुविधा दर में बढ़ोतरी
 3. बैंक रेट और रेपो रेट में कटौती

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में नमिनलखिति पर वचिर कीजिये: (2015)

- बैंक दर
2. खुला बाज़ार परिचालन
 3. सार्वजनिक ऋण
 4. सार्वजनिक राजस्व

उपर्युक्त में से कौन-सा/से मौद्रिक नीति का/के घटक है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1 और 2
- (d) केवल 1, 3 और 4

उत्तर: (c)

??????

प्रश्न. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि स्थिर जीडीपी वृद्धि और कम मुद्रास्फीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छी स्थिति में ला दिया है? अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजिये। (मुख्य परीक्षा- 2019)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

ChatGPT चैटबॉट

प्रलिस के लिये:

चैटबॉट और प्रकार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।

मेन्स के लिये:

ChatGPT चैटबॉट, इसका उपयोग और सीमाएँ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में OpenAI ने ChatGPT नामक एक नया [चैटबॉट](#) पेश किया है, जो एक 'संवादात्मक' आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) है और मानव की तरह ही प्रश्नों का उत्तर देगा।

ChatGPT

- परिचय:
 - ChatGPT "अनुवर्ती प्रश्नों" का उत्तर दे सकता है और "अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है, गलत धारणाओं को चुनौती दे सकता है साथ ही अनुरोधों को अस्वीकार कर सकता है।"
 - यह कंपनी के **GPT 3.5 सीरीज़ के लैंग्वेज लर्निंग मॉडल (LLM)** पर आधारित है।
 - GPT का मतलब जनरेटिव प्री-ट्रेनड ट्रांसफॉर्मर-3 है और यह एक तरह का कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल है जो इनपुट के आधार पर मानव-समान पाठ करने के लिये गहन शिक्षण तकनीकों पर निर्भर करता है।
 - मॉडल को यह भविष्यवाणी करने के लिये प्रशिक्षित किया जाता है कि भविष्य में क्या होगा, औसत लक्ष्य तकनीकी रूप से ChatGPT के साथ 'बातचीत' की जा सकती है।
 - चैटबॉट को **रेनफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक (RLHF)** का उपयोग करके भी प्रशिक्षित किया गया था।
- उपयोग:
 - इसका उपयोग वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन सामग्री निर्माण, ग्राहक सेवा प्रश्नों का उत्तर देने या यहाँ तक कि डिबेट कोड में मदद करने के लिये भी किया जा सकता है।
 - मानव जैसी बोलने की शैली की नकल करते हुए बॉट कई तरह के सवालों का जवाब दे सकता है।
 - इसे बेसिक ईमेल, पार्टी प्लानिंग लिस्ट, सीवी और यहाँ तक कि कॉलेज नबिंध और होमवर्क के प्रतिलिपि के रूप में देखा जा रहा है।
 - इसका उपयोग कोड लिखने के लिये भी किया जा सकता है।
- सीमाएँ:
 - उक्त चैटबॉट में भी लगभग सभी AI मॉडल की तरह नस्लीय और लैंगिक पूर्वाग्रह संबंधी समस्याएँ हैं।
 - चैटबॉट के उत्तर व्याकरणिक रूप से सही होते हैं और इसकी पठन संबंधी समझ भी अच्छी है परंतु इसमें संदर्भ संबंधी समस्या है, जो काफी हद तक सच है।
 - ChatGPT कभी-कभी गलत जानकारी देता है और इसका ज्ञान वर्ष 2021 से पहले हुई वैश्विक घटनाओं तक ही सीमित है।

चैटबॉट:

■ परिचय:

- चैटबॉट्स, जिसे चैटरबॉट्स भी कहा जाता है, [आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस \(AI\)](#) का एक रूप है जिसका उपयोग मैसेजिंग ऐप में किया जाता है।
- यह टूल ग्राहकों को **सुविधा प्रदान करता है, ये स्वचालित प्रोग्राम हैं जो ग्राहकों के साथ मानव की तरह बातचीत** करते हैं और इसमें संलग्न होने के लिये नाममात्र/न के बराबर शुल्क अदा करना होता है।
 - फेसबुक मैसेंजर में व्यवसायों द्वारा या अमेज़न के एलेक्सा जैसे आभासी सहायकों के रूप में उपयोग किये जाने वाले चैटबॉट प्रमुख उदाहरण हैं।
- चैटबॉट दो तरीकों में से एक में काम करते हैं- **मशीन लर्नगि के माध्यम से या निर्धारित दशा-नरिदेशों के साथ।**
- हालाँकि AI तकनीक में प्रगतिके कारण **नरिधारित दशा-नरिदेशों का उपयोग करने वाले चैटबॉट एक ऐतिहासिक पदचिह्न बन रहे हैं।**

■ प्रकार:

- **नरिधारित दशा-नरिदेशों के साथ चैटबॉट:**
 - यह केवल अनुरोधों और शब्दावली की एक नरिधारित संख्या का जवाब दे सकता है क्योंकि यह प्रोग्रामिंग कोड जितना ही बुद्धिमान है।
 - सीमिति बॉट का एक उदाहरण **स्वचालित बैंकिंग बॉट है जो कॉल करने वाले से यह समझने के लिये कुछ प्रश्न पूछता है** कि कॉलर क्या करना चाहता है।
- **मशीन लर्नगि चैटबॉट:**
 - चैटबॉट जो मशीन लर्नगि के माध्यम से कार्य करता है, उसमें **कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क** होता है जो मानव मस्तिष्क के तंत्रिका नोड्स से प्रेरित होता है।
 - बॉट को स्वतः सीखने के लिये प्रोग्राम किया गया है क्योंकि इसे नए संवादों और शब्दों से परिचित कराया जाता है।
 - वास्तव में जैसे ही चैटबॉट को नई आवाज़ या टेक्स्ट संवाद प्राप्त होते हैं, पूछताछ की संख्या जिसका वह उत्तर दे सकता है, की सटीकता बढ़ जाती है।
 - मेटा (जैसा कि अब फेसबुक की मूल कंपनी के रूप में जाना जाता है) में एक मशीन लर्नगि चैटबॉट है जो कंपनियों को मैसेंजर ऐप के माध्यम से अपने उपभोक्ताओं के साथ बातचीत करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।

■ लाभ:

- चैटबॉट ग्राहक सेवा प्रदान करने और सप्ताह में 7 दिनों 24 घंटे समर्थन करने के लिये सुविधाजनक हैं।
- वे फोन लाइनों को भी मुफ्त करते हैं तथा लंबे समय में समर्थन करने के लिये लोगों को काम पर रखने की तुलना में बहुत कम खर्चीले होते हैं।
- AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करते हुए चैटबॉट यह समझने में बेहतर हो रहे हैं कि ग्राहक क्या चाहते हैं तथा उन्हें वह सहायता प्रदान कर रहे हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है।
- कंपनियाँ भी चैटबॉट को पसंद करती हैं क्योंकि वे ग्राहकों के प्रश्नों, प्रतिक्रिया समय, संतुष्टि आदि के बारे में डेटा एकत्र कर सकती हैं।

■ हानि:

- यहाँ तक कि प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के साथ वे ग्राहक के इनपुट को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं और असंगत उत्तर प्रदान कर सकते हैं।
- कई चैटबॉट्स उन प्रश्नों के दायरे में भी सीमित हैं जिनका वे जवाब देने में सक्षम हैं।
- चैटबॉट लागू करने और बनाए रखने के मामले में महंगे हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगातार अनुकूलित एवं अपडेट करना होता है।
- AI में भावनाओं का समावेशन अभी चुनौतीपूर्ण है, हालाँकि AI द्वारा अनैतिक और हेट स्पीच के खतरे बने हुए हैं।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. विकास की वर्तमान स्थितिके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नमिनलखिति में से क्या प्रभावी ढंग से कर सकता है? (2020)

1. औद्योगिक इकाइयों में बजिली की खपत को कम करना
2. सार्थक लघु कथाएँ और गीत बनाना
3. रोग नदिन
4. टेक्स्ट-टू-स्पीच रूपांतरण
5. वदियुत ऊर्जा का वायरलेस संचरण

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1, 2, 3 और 5
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2, 4 और 5
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b)

प्रश्न. नमिनलखिति युगमों पर वचिर कीजयि: (2018)

1. बेले II प्रयोग - आर्टफिशियल इंटेलिजेंस
2. ब्लॉकचेन तकनीक - डिजिटल/क्रिप्टोकॉरेंसी
3. सीआरआईएसपीआर - केंस 9 - कण भौतिकी

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

एक ज़िला एक उत्पाद और डिस्ट्रिक्ट ऐज़ एक्सपोर्ट हब पहल

प्रलिमिंस के लिये:

एक जिला एक उत्पाद (One District One Product- ODOP), निर्यात हब के रूप में ज़िले (Districts as Export Hub- DEH) पहल , PMFME योजना, GeM पोर्टल ।

मेन्स के लिये:

निर्यात हब के रूप में ज़िले पहल तथा एक ज़िला एक उत्पाद पहल का महत्त्व, कृषिविपणिन में सुधार के तरीके ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [एक जिला एक उत्पाद](#) (One District One Product -ODOP) और 'डिस्ट्रिक्ट ऐज़ एक्सपोर्ट हब (DEH)' पहल का वलिय कर दिया गया है ।

एक ज़िला एक उत्पाद:

■ परिचय:

- ODOP, [प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम \(PMFME\) योजना के औपचारिकरण](#) के अंतर्गत अपनाया गया एक दृष्टिकोण है ।
- यह **PMFME** योजना के बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने और मूल्य शृंखला हेतु रूपरेखा के संरक्षण के लिये रूप-रेखा प्रदान करेगा । एक ज़िले में ODOP उत्पादों के एक से अधिक समूह हो सकते हैं ।
- एक राज्य में एक से अधिक निकटवर्ती ज़िलों को मिलाकर ODOP उत्पादों का एक समूह बनाया जा सकता है ।
- राज्य मौजूदा समूहों और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ज़िलों के लिये खाद्य उत्पादों की पहचान करेंगे ।
- ODOP जल्द खराब होने वाली उपज आधारित या अनाज आधारित या एक क्षेत्र में व्यापक रूप से उत्पादित खाद्य पदार्थ जैसे, आम, आलू, अचार, बाजरा आधारित उत्पाद, मत्स्य पालन, मुरगी पालन आदि हो सकता है ।
- इस योजना के तहत अपशिष्ट से धन उत्पादों सहित कुछ अन्य पारंपरिक और नवीन उत्पादों को सहायता प्रदान की जा सकती है ।
 - उदाहरण के लिये आदिवासी क्षेत्रों में **शहद**, **लघु वन उत्पाद**, पारंपरिक भारतीय **हरबल खाद्य पदार्थ जैसे हल्दी, आँवला**, आदि ।

■ महत्त्व:

- क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाने से तुलनात्मक लाभ वाले ज़िलों में वशिष्ट कृषि उत्पादों के विकास में मदद मिलेगी ।
- इससे सामान्य सुविधाएँ और अन्य सहायता सेवाएँ प्रदान करने में आसानी होगी ।

ODOP की उपलब्धियाँ:

- ODOPI गवरनमेंट ई-मार्केटप्लेस बाज़ार (GEM) अगस्त 2022 में देश भर में ODOPI उत्पादों की बिक्री और खरीद को बढ़ावा देने के लिये 200 से अधिक उत्पाद श्रेणियों के साथ लॉन्च किया गया था ।
- ODOPI उत्पादों को वभिन्न अंतराष्ट्रीय मंचों जैसे विश्व आर्थिक मंच के दावोस शखिर सम्मेलन, अंतराष्ट्रीय योग दिवस (IYD) आदि में प्रदर्शित किया गया ।
- समग्र विकास में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिये ODOPI पहल की पहचान की गई थी ।
- DEH से संबंधित होना:
 - राज्य नरियात संवर्द्धन समिति (SEPC) और ज़िला नरियात संवर्द्धन समिति (DEPC) का गठन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (UT) में किया गया है ।
 - देश भर के 734 ज़िलों में नरियात क्षमता वाले उत्पादों/सेवाओं की पहचान की गई है ।
 - 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य नरियात रणनीति तैयार की गई है
 - 570 ज़िलों के लिये ज़िला नरियात कार्य योजना (DEAP) का मसौदा तैयार किया गया है
 - वदिश व्यापार महानदिशालय (DGFT) द्वारा सभी ज़िलों में DEAP की प्रगत की नगरानी के लिये एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है ।

'नरियात हब के रूप में ज़िले' पहल क्या है?

- DEH का उद्देश्य प्रत्येक ज़िले को नरियात केंद्र में बदलना है जिसके लिये वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, DGFT के माध्यम से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ काम कर रहा है ।
- इस पहल के हसिसे के रूप में, DEPC के रूप में प्रत्येक ज़िले में एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जा रहा है जिसकी अध्यक्षता ज़िला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/ज़िला विकास अधिकारी और वभिन्न अन्य हतिधारक इसके सदस्य के रूप में कर सकते हैं ।
- DEPC का प्राथमिक कार्य केंद्र, राज्य और ज़िला स्तर के सभी संबंधित हतिधारकों के सहयोग से DEAP तैयार करना और उस पर कार्रवाई करना होगा ।
- DEAP में ज़िले में नरियात क्षमता वाले उत्पादों (वस्तुओं और सेवाओं) की स्पष्ट पहचान शामिल होगी । इसमें शामिल हो सकते हैं:
 - संस्थागत / अन्य ज़िम्मेदारियाँ
 - नीति, वनियामक और परिचालन सुधार एवं बुनियादी ढाँचे/उपयोगिताओं/रसद हस्तक्षेपों की वशिष्टताएँ
 - आयात नरियात औपचारिकताएँ
 - भौगोलिक संकेतक (Geographical Identification- GI) उत्पादन, पंजीकरण, वणिणन और इसके नरियात में बाधाओं/मुद्दों की पहचान ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. क्या क्षेत्रीय-संसाधन आधारित वनिरिमाण की रणनीति भारत में रोज़गार को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है? (मुख्य परीक्षा, 2019)

प्रश्न. भारत में कृषिउत्पादों के वणिणन की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रकरिया में मुख्य बाधाएँ क्या हैं? (मुख्य परीक्षा, 2022)

स्रोत: पी.आई.बी.